

**परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित सहायक
अध्यापक भर्ती परीक्षा-2019 में उत्तीर्ण 146060 अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु दिशा निर्देश**

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापकों के पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु गुणांक निर्धारण के लिए न्यूनतम अर्हताओं में से एक सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 12.05.2020 को परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा घोषित किया जा चुका है जिसमें कुल उत्तीर्ण 146060 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु उ0प्र0 बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली-1981 (अद्यतन संशोधित) एवं शासनादेश संख्या-344 /68-5-2020 दिनांक 13 मई, 2020 के अनुक्रम में निम्नवत दिशा निर्देशों के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी-

1- आवेदन हेतु पात्रता:-

(I)- **शैक्षिक अर्हता एवं आयु-** उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 यथा संशोधित में उल्लिखित सुसंगत नियमों में उल्लिखित अर्हता/प्रावधानों के अनुसार होगी।

(II)- **राष्ट्रीयता-** उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 यथा संशोधित में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

(III)-**आरक्षण:-** उत्तर प्रदेश में प्रवृत्त अधिनियम एवं राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप देय होगा।

भूतपूर्व सैनिक(स्वयं)/दिव्यांग/स्व०सं०से० आश्रित अभ्यर्थियों को भर्ती के समय उत्तर प्रदेश में उनके सम्बन्ध में प्रवृत्त अधिनियम में उल्लिखित आरक्षण देय होगा।

(IV) **वैवाहिक स्थिति:-** चयन/नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हों। साथ ही सहायक अध्यापक के पदों पर चयन हेतु ऐसी महिला अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होगी जिसके एक से अधिक पति जीवित हैं।

(V) **चरित्र:-** ऐसे अभ्यर्थी जो संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी अन्य संस्था से निष्कासित किये गये हों, वे नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नियुक्त अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जायेगा।

(VI) **अर्हता तिथि-** अभ्यर्थी के समस्त शैक्षिक अंकपत्र/प्रमाण पत्र तथा अन्य अभिलेखों का निर्धारण सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन की तिथि से होगा।

(VII) **रिक्तियों का निर्धारण-** ग्रामीण क्षेत्र के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती हेतु आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा-2019 में 146060 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दृष्टि से उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981(अद्यतन संशोधित) के नियम 14 के अन्तर्गत रिक्तियों की संख्या निर्धारित की गयी है।

2- आवेदन की प्रक्रिया-

(I) किसी भी अभ्यर्थी को हार्ड कापी में आवेदन नहीं करना है। इच्छुक अर्ह अभ्यर्थियों को विज्ञापन में निर्दिष्ट वेबसाइट पर संगत सूचनाओं सहित आनलाइन ई-आवेदन करना होगा।

(II) 69,000 सहायक अध्यापकों हेतु आयोजित भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय प्रयागराज

अधिकार अधिनियम-2009 के अधिनियम/नियमावली के संगत प्राक्षियानों के अनुसार की जायेगी। चयन/नियुक्ति हेतु वरिष्ठताक्रम का निर्धारण अध्यापक या नियमावली के परिणाम के में विद्यमान प्रक्रियानुसार तैयार किया जायेगा।

अभ्यर्थी के चयन के लिए गुणवत्ता अंक एवं भारांक का निर्धारण:-

क्रमांक	परीक्षा/उपाधि का नाम	गुणवत्ता अंक
1	हाईस्कूल	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत×10 / 100
2	इण्टरमीडिएट	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत×10 / 100
3	स्नातक उपाधि	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत×10 / 100
4	प्रशिक्षण	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत×10 / 100
5	सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा	परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत×60 / 100
6	भारांक वेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर वेसिक स्कूलों में इस रूप में कार्यरत शिक्षामित्र के रूप में या अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव	प्रत्यक्ष पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2.5 अंक, अधिकतम 25 अंक तक, जो भी कम हो।

टिप्पणी—

I— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (N.C.T.E.) द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा/डिग्री कोर्स पर विचार होगा, तथापि शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) की स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद (रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इण्डिया) द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स पर ही विचार होगा।

II— बी0एड0 एवं डी0एड0(विशेष शिक्षा) की योग्यता वाले व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर, एन0सी0टी0ई0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा।

नोट—

I— यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान हो तो ऐसे अभ्यर्थी का नाम, जो आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा।

II— यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अभ्यर्थी का नाम, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार सूची में रखा जायेगा।

III— शिक्षामित्र का तात्पर्य वेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर वेसिक स्कूलों में उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 के प्रारम्भ होने के पूर्व से शासनादेश के अधीन इस रूप में कार्यरत व्यक्ति से है या ऐसे किसी व्यक्ति से है जो शिक्षामित्र रहा हो और वेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर वेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हो और विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-32599/2015 उ0प्र0 राज्य व अन्य बनाम आनन्द कुमार यादव व अन्य के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में शिक्षामित्र के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया हो।

IV— उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी वरीयता, उसके भारांक/गुणांक तथा जनपद हेतु निर्धारित रिक्त पदों के प्रति चयनित अभ्यर्थियों की सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के काउन्सिलिंग के लिया जायेगा। सही पाये गये अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन सम्बन्धित संस्थाओं से

185

प्रयागराज द्वारा दिनांक 17.05.2020 को प्रदेश के बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति का प्रकाशन कराया गया है।

(III) अभ्यर्थी द्वारा जनपद आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा हेतु निर्गत किया गया अनुक्रमांक, नाम तथा मोबाइल नम्बर को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित वेबसाइट पर भरना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के दिए गए मोबाइल पर ॲ0टी0पी0 (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा, जिसे वेबसाइट पर यथास्थान अंकित करने पर ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में वांछित प्रविष्टियों तथा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों का विकल्प अपनी इच्छानुसार वरीयताक्रम में अनिवार्य रूप से भरा जायेगा।

अन्तिम रूप से आवेदन पत्र सबमिट करने के पूर्व पुनः ॲ0टी0पी0 (वन टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा और अन्तिम रूप से सबमिट किये जाने के उपरान्त किसी भी दशा में संशोधन संभव नहीं होगा।

(IV) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से लेकर जनपद आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से इस हेतु निर्मित साफ्टवेयर द्वारा सम्पादित की जायेगी। अभ्यर्थियों के गुणांक/भारांक, के आधार पर आगणित मेरिट, विकल्प, जनपद में उपलब्ध विकितयों, आरक्षण एवं श्रेणी (कैटेगरी) के आधार पर जनपद आवंटित किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद की सूची के अनुसार, आवंटित जनपद में काउंसिलिंग हेतु प्रतिभाग करना होगा। जनपद आवंटन के पश्चात नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष निर्धारित तिथियों के मध्य समस्त वांछित मूल अभिलेखों के साथ सम्पर्क करेगा। अभिलेखों के सत्यापनोपरान्त अर्ह पाये जाने के उपरान्त ही अथर्वी को आवंटित जनपद में नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(V) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थी को आयोजित काउन्सिलिंग में अपने समस्त शैक्षिक/अन्य मूल अभिलेखों, उसकी दो सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति, चार पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तथा 'सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज' के पदनाम से निर्धारित आवेदन शुल्क (सामान्य/ओ0बी0सी0 हेतु रु0 500, अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु रु0 200, दिव्यांगों हेतु नि:शुल्क) का बैंकड्राफ्ट लेकर प्रतिभाग करना होगा।

(VI) नियुक्त होने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं का अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

3- चयन समिति- अभ्यर्थियों के चयन/नियुक्ति हेतु अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन यथा संशोधित) में प्राविधानित सुसंगत नियमों के अन्तर्गत चयन समिति के गठन की कार्यवाही की जायेगी।

चयन समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं, तो जिलाधिकारी जिला स्तर के अधिकारियों में से ऐसे जाति/जनजाति या वर्ग जिनका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, के व्यक्तियों को चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करेगा।

जनपदीय चयन समिति द्वारा चयन/नियुक्ति से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। चयन समिति अभ्यर्थी द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गयी प्रविष्टियों की सत्यता की जांच करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि नियमावली तथा शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुरूप अभ्यर्थियों को चयन सूची में सम्मिलित किया जाये। किसी भी अनर्ह अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत करने का सम्पूर्ण दायित्व जनपदीय चयन समिति का होगा। चयन/नियुक्ति के सम्बन्ध में जनपद स्तरीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

4- चयन प्रक्रिया-

क- अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन यथा संशोधित) तथा चयनोपरान्त अध्यापक की तैनाती नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का

ग— जनपद में नवनियुक्त अध्यापकों का प्रथम वेतन भुगतान करने से पूर्व उनके समरत शैक्षिक/अन्य अभिलेखों का सत्यापन एवं उनका स्वास्थ्य परीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित कराकर कराया जाना अनिवार्य होगा।

घ— अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार सहायक अध्यापक के निर्धारित वेतनमान में एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 (अद्यतन यथा संशोधित) के अनुसार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में की जायेगी। उक्त चयन/नियुक्ति कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित समय सारिणी निर्धारित की गयी है—

1—	विज्ञप्ति का प्रकाशन	17.05.2020
2—	ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन/आवेदन पत्र भरे जाने की प्रारम्भ होने की तिथि	18.05.2020 के अपराह्न से
3—	ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	26.05.2020 (रात्रि 12 बजे तक)
4—	प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त ऑनलाइन प्रॉसेसिंग कर सूची डाउनलोड करना	27.05.2020 से 31.05.2020 तक
5—	जनपदों में काउन्सिलिंग का आयोजन एवं जनपदों में नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना।	03.06.2020 से 06.06.2020 तक

अभ्यर्थी दिनांक 31.05.2020 को ऑनलाइन आवेदन हेतु प्रयोग में लायी गयी वेबसाइट <https://upbasiceduboard.gov.in/> पर 69000 सहायक अध्यापकों की चयनोपरान्त नियुक्ति हेतु आवंटित जनपद के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।